न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 51/2018 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2018/00429

अपीलांटगण :–	बनाम	रेस्पोडेन्टगण :–
1. पुष्पादेवी उर्फ सुखीदेवी पुत्री मोतीलाल जी पत्नी ज्ञानचन्द जी जाति ओसवाल, निवासी डूंगरपुर, तहसील रोहट जिला पाली (राजस्थान) 2. प्रेमलता गोलेच्छा उर्फ प्रेमादेवी पुत्री मोतीलाल जी पत्नी अमृतराजजी जाति जैन निवासी डूंगरपुर तहसील रोहट जिला पाली हाल 50 धनेन्द्र पद्मावती नगर, रामलीला मैदान, पाली। 3. प्रमोदादेवी उर्फ धापुदेवी पुत्री मोतीलाल जी पत्नी हरीश मेहता जाति ओसवाल निवासी डूंगरपुर तहसील रोहट जिला पाली शांतिपुरा हाथीराम का ओडा जोधपुर		1. राजस्थान राज्य जरिये भुमिधारी तहसीलदार रोहट 2. हनुमान पुत्र मोतीलाल जी 3. लीलादेवी पुत्री मोतीलाल जी 4. शोभादेवी पुत्री मोतीलाल जी 5. माणककंवर पत्नी मोतीलाल जी तमाम जातिगण ओसवाल निवासीगण डूंगरपुर, तहसील रोहट, जिला पालीण

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री नरपत सिंह राजपुरोहित
अप्रार्थी की ओर से श्री भागीरथ सिंह

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 9/12/21

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 764 दिनांक 15.12.2010 खसरा नंबर 146 व 307 ग्राम डूंगरपुर बाबत तहसीलदार रोहट द्वारा स्वीकृत किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई है। अपील अपीलांट म्याद बाहर होने से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम के मय शपथ पत्र प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलांट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा मूल नामान्तरकरण तलब किया जाकर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम डूंगरपुर तहसील रोहट के खसरा नंबर 146 रकबा 75 बीघा 11 बिस्वा व खसरा नंबर 307 रकबा 85 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमी स्व. मोतीलाल पुत्र मिश्रीमल जी के खातेदारी कब्जा काश्त की आई हुई थी जिसमें स्व. मोतीलाल जी का 1/2 हिस्सा था। अपीलांट्स स्व. मोतीलाल जी की पुत्रियां है व रेस्पोडेंट संख्या 2 स्व. मोतीलाल जी का पुत्र, रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 स्व. मोतीलाल जी की पुत्रियां व रेस्पोडेंट संख्या 5 स्व. मोतीलाल जी की पत्नी है मोतीलाल जी का देहान्त दिनांक 14.3.2010 को हो जाने पर उनके वारिशान के नाम जैर अपील फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 764 दिनांक 15.12.2010 को तहसीलदार रोहट द्वारा स्वीकृत किया गया। स्व. मोतीलाल जी की पुत्रियां भंवरीदेवी व सुशीलादेवी ने अपना–अपना हिस्सा अपने भाई हनुमान के पक्ष में हकतर्क कर दिया इस पर भंवरीदेवी व सुशीला देवी के स्थान पर हनुमान का नाम व हिस्सा म्यूटेशन संख्या 962 के तहत दर्ज कर दिया गया। अपीलांट संख्या 1 पुष्पादेवी को बोलचाल की भाषा में सुखी देवी, अपीलांट संख्या 2 प्रेमलता गोलेच्छा को प्रेमादेवी व अपीलांट संख्या 3 प्रमोदादेवी को धापुदेवी के नाम से भी जाना, पहचाना व बुलाया जाता है इस कारण फौदेदगी म्यूटेशन संख्या 764 अमल दरामद करते वक्त अपीलांट के नाम क्रमशः सुखीदेवी, प्रेमादेवी व धापुदेवी दर्ज कर दिये गये जबकि सही वास्तविक नाम अपीलांट संख्या 1 का सुखीदेवी न होकर पुष्पादेवी है। अपीलांट संख्या 2 का नाम प्रेमादेवी न होकर प्रेमलता गुलेच्छा है तथा अपीलांट संख्या 3 का नाम धापुदेवी न होकर प्रमोदा देवी है। जो कि पत्रावली संलग्न अपीलांटस के सरकारी दस्तावेज जैसे वोटर कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, स्कूल की मार्कशीट, बैंक खाता डायरी, ग्राम पंचायत ... रोहट द्वारा प्रदत प्रमाण पत्र, अपीलांट संख्या 1 से 3 तथा उनकी माता माणक कंवर द्वारा प्रदत ... पत्र की प्रतिलिपी पेश कर अपीलांट संख्या 1 से 3 के नाम क्रमशः पुष्पादेवी, प्रेमलता गोलेच्छा व प्रमोदा देवी दर्ज कराने का निवेदन किया है तथा जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त किया जाने हेतु भी निवेदन किया है। म्युटेशन में अमल दरामद करते समय गलत नाम दर्ज हो जाने से अपीलांट्स को कई प्रकार की समस्याओं जैसे कब्जासुदा कृषि भुमि पर कृषि साख

क्रमशः......................2

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:39:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

ऋण लेने, बेचाण करने, व अन्य कई प्रकार के कार्य करने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। व अपीलांटस को फसल खराबी का मुआवजा भी उनके खाते में जमा नहीं हो पाता है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण फरमाया जावे। अपीलांटस को उक्त जैर अपील नामान्तरकरण की जानकारी अपीलांट संख्या 1 पुष्पा देवी द्वारा डूंगरपुर पटवारी हल्का से जैर अपील कृषि भूमी की जमाबंदी की नकले मांगने पर हुई तब अपीलांट्स संख्या 2 व 3 को भी इस बात की जानकारी दी व बिना विलम्ब के उक्त अपील श्रीमान के समक्ष पेश की गई। जैर अपील नामान्तरकरण बिना जांच व सुनवाई का अवसर दिये भरा गया है अतः जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जाकर पुनः अपीलांट संख्या 1 का नाम पुष्पादेवी, अपीलांट संख्या 2 का नाम प्रेमलता गोलेच्छा व अपीलांट संख्या 3 का नाम प्रमोदा देवी सही नाम इन्द्राज दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावे। अपीलान्ट्स के हक अधिकारों का प्रश्न होने से अपील जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमाते हुए जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त फरमावे तथा अपीलांट संख्या 1 से 3 के सही नाम इन्द्राज किये जाने का आदेश फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने वक्त बहस अधिवक्ता अपीलांटस से सहमति प्रकट करते हुए निवेदन किया कि जैर अपील नामान्तरकरण भरा जाते समय अपीलांटस के नाम इन्द्राज करने में विधिक त्रुटि हुई है व अपीलांटस के हक अधिकारों का प्रश्न होने से अपील अन्दर म्याद शुमार फरमाई जाने व अपीलांटस् के सही नाम इन्द्राज किये जाने पर उन्हें कोई आपत्ति या उज्र एतराज नहीं है।

पत्रावली में बहस सुनी गई अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। इस अपील में विचारणीय बिन्दु दो है :-

1. क्या अपील अन्दर म्याद है ?
2. क्या तहसीलदार रोहट द्वारा नामान्तरकरण भरते समय सही नाम इन्द्राज करने में विधिक त्रुटि हुई है ?

अपीलांट्स के पिता स्व. मोतीराम की खातेदारी भूमी में हक अधिकारों का प्रश्न होने से तथा खातेदार की मृत्यु के पश्चात विधिक उत्तराधिकारीगण के सही नाम जैर अपील नामान्तरकरण में इन्द्राज नहीं करने से अपीलांट अपने कई प्रकार के सुख सुविधा व अधिकारों से वंचित हो गई है ऐसा नामान्तरकरण ab initio void होने से म्याद के बिन्दु पर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है एवं अपील का गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है।

किसी व्यक्ति के फौत होने पर पुत्र, पुत्रियां, पत्नी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान होने से उनका नाम जैर अपील नामान्तरकरण में दर्ज किया जाना होता है उक्त जैर अपील नामान्तरकरण में मोतीराम की मृत्यु हो जाने पर उनकी जायन्दा संतानों का नाम जैर अपील नामान्तरकरण में इन्द्राज किया जाना था लेकिन तहसीलदार रोहट द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण दर्ज करते समय विधिक उत्तराधिकारियों की बिना जांच किये बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलांट्स के वास्तविक नाम इन्द्राज नहीं कर बोलचाल की भाषा में प्रचलित नाम इन्द्राज कर दिये। अपीलांट संख्या 1 का नाम पुष्पादेवी के स्थान पर सुखीदेवी अपीलांट संख्या 2 का नाम प्रेमलता गुलेच्छा के स्थान पर प्रेमादेवी व अपीलांट संख्या 3 का नाम प्रमोदादेवी के स्थान पर धापुदेवी इन्द्राज कर दिया गया। अपीलांट्स के वास्तविक नाम क्रमशः पुष्पादेवी, प्रेमलता गुलेच्छा, व प्रमोदादेवी है जो पत्रावली संलग्न इनके पेन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डायरी, ग्राम पंचायत खाण्डी पं.सं. रोहट द्वारा प्रदत प्रमाण पत्र, अपीलांट संख्या 1 से 3 तथा उनकी माता माणक कंवर द्वारा प्रदत शपथ पत्र की प्रति से स्पष्ट है। अतः अधिनस्थ तहसीलदार, रोहट द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण पारित कर विधिक त्रुटि की है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि स्व. मोतीराम के विधिक वारिसान की जांच नहीं की गई तथा उनको बिना सुने ही अपनी मर्जी से जैर अपील नामान्तरकरण पारित कर दिया जो निरस्तनीय है। जिसे यथावत रखा जाना विधिसम्मत नहीं है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 764 दिनांक 15.12.2010 जो खसरा नंबर 146 व 307 ग्राम डूंगरपुर पटवार हल्का डूंगरपुर के संबंध में तहसीलदार, [illegible] स्वीकृत किया गया उसे अपास्त किया जाता है। एवं इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि स्वर्गीय मोतीलाल के विधिक वारिसान की बाद जांच उन्हें [illegible] का अवसर दिया जाकर नियमानुसार सही नामों से नामान्तरकरण दर्ज किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 9/12/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

Ansh

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:39:23 IST
Reason: SelfAttested